यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, **उपजिलाधिकारी, गैरसैण, चमोली** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **उपजिलाधिकारी, गैरसैण, चमोली** के माह **04/2012** से **10/2018** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार जयन्त वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **09.11.18** से **14.11.18** तक श्री प्रेमचन्द्र वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

**भाग-प्रथम**

1- परिचयात्मक- इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- गढ़वाल परिक्षेत्र, गैरसैण, चमोली

(ii)(अ) विगत चार वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

| | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य(+) | बचत(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2014-15 | - | - | 113.66 | 107.23 | 6.55 | 5.25 | - | 7.73 |
| 2015-16 | - | - | 143.30 | 127.21 | 8.50 | 6.38 | - | 18.21 |
| 2016-17 | - | - | 191.58 | 131.73 | 17.02 | 9.70 | - | 16.17 |
| 2017-18 | - | - | 135.87 | 131.33 | 26.27 | 10.84 | - | 19.97 |
| 2018-19 (10/18 तक) | | | 141.78 | 82.43 | 2.36 | 2.36 | | 66.91 |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन (केन्द्र एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **'सी'** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

| |
|---|
| जिलाधिकारी |
| अपर जिलाधिकारी |
| उपजिलाधिकारी |
| तहसीलदार |
| नायब तहसीलदार |
| कानूनगो/भूलेख निरीक्षक<br>(मैदानी/पर्वतीय) |
| राजस्व निरीक्षक |

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में उत्तराखण्ड गढ़वाल मण्डल एवं अनुपालन को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाअधिकारी, गैरसैण, चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु माह **03/13**, **03/14, 03/16** एवं **03/17** को चयनित किया गया। उपरोक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग-II 'अ'**

.....शून्य.....

**<u>भाग-दो 'ब'</u>**

**<u>प्रस्तर:01-</u> ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 2.02 लाख के राजस्व की हानि!**

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 140/xxiv/2015/16/2008पार्ट-2 सूचना प्रौद्धोगिकी अनुभाग देहरादून दिनांक 21 मार्च 2015 के प्रस्तर 2 के अनुसार ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर निर्गत कम्प्यूटरीकत प्रमाण पत्रों एवं अन्य सेवाओं के लिए शुल्क रू 30 का निर्धारण किया गया है!

कार्यालय के ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि कार्यालय उप जिला अधिकारी गैरसैण के अन्तर्गत 1 मार्च 2015 से दिनांक 12 अक्टूबर 2018 तक ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत तहसील गैरसैण में कुल 16088 प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से तहसील से 5643 प्रमाण पत्र जारी किये गये। उनसे लाभार्थियों से प्रति प्रमाण पत्र रू 30 की दर से शुल्क रू 169290 का प्राप्त किया गया है। लेकिन जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 10445 प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उनसे केवल 10.68 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 111553 प्राप्त किये गये। जबकि जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 30 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 313350 शुल्क लिया जाना चाहिए, लेकिन जन सुविधा केन्द्रो द्वारा केवल 19.32 प्रति लाभार्थियों से रू 201797 कम शुल्क शासकीय खाते में जमा किया गया है। जिसके कारण विभाग को रू 2.02 लाख की राजस्व की हानि हुई है।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि सी एस सी की दरें का निर्धारण शासन स्तर से किया जाता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश स्पष्ट उल्लेख है कि सी एसी सी द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाए। जो नहीं लिया जा रहा है।

**अतः ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 2.02 लाख के राजस्व की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।**

**संलग्नक-1**

**तहसील सेतर एवं सी एस सी स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्र एवं प्राप्त धनराशि का विवरण**

दिनांक 01 मार्च 2015 से 30 अक्टूबर 2018 तक तहसील में विभिन्न प्रमाण पत्रों हेतु प्राप्त आवेदन की संख्याः 16088

दिनांक 01 मार्च 2015 से 30 अप्रैल 2018 तक तहसील स्तर पर विभिन्न प्रमाण पत्रों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्याः 5633

कामन सर्विस सेन्टर से विभिन्न प्रमाण पत्रों हेतु प्राप्त आवेदनः 10445

जबकि शासनादेश दिनांक 21 मार्च 2015 के अनुसार प्रति प्रमाण पत्रों हेतु रू 30 की दर से शुल्क लिये जाने का प्रावधान है। लेकिन कामन सर्विस सेन्टर द्वारा केवल रू 10.68 प्रति आवेदन पर शुल्क लिया जा रहा है। इस प्रकार कामन सर्विस सेंटर द्वारा रू 19.32 प्रति आवेदन पत्रों कम शुल्क दिया जा रहा है।

जिसका गणना इस प्रकार है।

तहसील स्तर पर लिया गया शुल्कः5643*30=169290

कामन सर्विस सेंटर द्वारा लिया गया शुल्कः10445*10.68=11553

कामन सर्विस सेंटर द्वारा कम शुल्क लिया गयाः 10445*19.68=201797

**<u>भाग-दो 'ब'</u>**

**<u>प्रस्तरः2-</u> शस्त्र नवीनीकरण की दर से कम शुल्क लिये जाने से रू 65620 के राजस्व की हानि।**

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 300/भा0स0/xx-2/16-2 08/2016 गृह अनुभाग 2 देहरादून 23 सितम्बर 2016 द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आयुध नियम 2016 को लागू किये जाने के गजट अनुसूची 4-एफ में शस्त्र नवीनीकरण हेतु शुल्क रू 500 प्रति वर्ष का शुल्क निर्धारण किया गया है।

कार्यालय के शस्त्र नवीनीकरण पंजिका एवं पत्रावली की जांच में पाया गया है कि नवम्बर 2016 से अक्टूबर 2018 तक निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लिये जाने के कारण रू 65650 के राजस्व की हानि हुई है। संलग्नक-2

इस संबंध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि जांच कर वसूली की कार्यवाही कर ली जायेगी।

अतः शस्त्र नवीनीकरण की निर्धारित दर से कम शुल्क लिये जाने से रू 65620 के राजस्व की हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**संलग्नक-2**

| अवधि | नवीनीकरण शस्त्र लाईसेन्स धारी की संख्या | नवीनीकरण हेतु शुल्क लिया जाना था। | लिया गया शुल्क | कम शुल्क ली गई धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 11/2016 से 12/2016 तक | 15 | रू 500 प्रति वर्ष यानि तीन वर्ष में रू 1500 शुल्क लिया जाना था। | 60 | 1440*15=21600 |
| 01/2017 से 12/2017 तक | 8<br>16 | रू 500 प्रति वर्ष यानि तीन वर्ष में रू 1500 शुल्क लिया जाना था। | 60<br>500 | 1440*8=11520<br>1000*16=16000 |
| 01/18 से 10/2018 तक | 16<br>01 | रू 500 प्रति वर्ष यानि तीन वर्ष में रू 1500 शुल्क लिया जाना था। | 500<br>1000 | 1000*16=16000<br>500*1=500 |
| | | | योग | रू 65620 |

**<u>भाग-दो 'ब'</u>**

**<u>प्रस्तर:03</u>- राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम 'कृषि गणना' हेतु तहसील स्तर पर तैयार किये गये रूपपत्रों का सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया संदिग्धपूर्ण सत्यापन/निरीक्षण का प्रकरण।**

राष्ट्रीय कार्यक्रम 'कृषि गणना' से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि तहसील गैरसैण में कार्यरत लेखपालों द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत तैयार करवायें गये अभिलेख जैसाः कि चिट्ठा, रूपपत्र एल-01, एल-02 एवं एच जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किये गये है परन्तु तहसील स्तर पर उच्चधिकारियों द्वारा संदर्भित रूपपत्रों का किया गया सत्यापन/निरीक्षण से सम्बंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये गये। जिसके परिणास्वरूप यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि कितने रूपपत्र उच्चाधिकारियों के द्वारा सत्यापित करवाकर प्रेषित किये गये हैं। तहसील स्तर पर रूपपत्रों का रख-रखाव से सम्बंधित पंजिका उपलब्ध न होने के कारण लेखापरीक्षा में यह सत्यापन नहीं किया जा सका कि तहसील के अन्तर्गत- 233 ग्रामों में से कितने रूपपत्र एल-01, 02 एवं एच का उपयोग किया गया है और कितने शेष है।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने प्रत्युत्तर में बताया कि कृषि गणना से सम्बंधित समस्त अभिलेख जिला अधिकारी कार्यालय/शासन को प्रेषित किये जा चुके है तथा भविष्य में अनुपालन किया जाएगा। इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं क्योंकि उक्त राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम के उपयोगार्थ आँकडों का उच्चाधिकारियों द्वारा संदर्भित रूपपत्रों का किया गया सत्यापन/निरीक्षण से समबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये गये। तहसील स्तर एक प्रारम्भिक/मुख्य स्तर है यदि प्रारम्भिक स्तर से ही वांछित आँकड़ों का सम्बंधित सक्षम उच्चाधिकारियों को निर्धारित निरीक्षण प्रतिशतानुसार निरीक्षण नहीं किया गया है तो उच्च स्तर द्वारा प्रकाशित आँकड़ो की विश्वसनीयता संदिग्ध प्रतीत होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>भाग-दो 'ब'</u>**

**<u>प्रस्तर:04-</u>₹ 22,400 राजकीय वाहन वसूली की कटौती न किया जाना।**

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-स0वि0नित-2-97 दिनांकः19 मई, 1999 यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आबंटित है वह उसका निजी उपयोग करें या न करें, उसके वेतन से प्रति माह (पेट्रोल कार के लिए रू 500 व जीप के लिए रू 400) की कटौती की जानी चाहिए तथा शासनादेश संख्याः 84/xxvii(7)50(6)/2017, दिनांकः 07 जून, 2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया गया है कि उक्त के अन्तर्गत राजकोष में जमा किये जाने वाली उक्त धनराशि में या वेतन से कटौती में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 मई, 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु रू 2000/प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी गयी थी।

कार्यालय के बिल पंजिका एवं जी0वी0आर0 से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि श्रीमती स्मृता परमार उपजिलाधिकारी के वेतन से माह मई/2017 से जून/2018 तक राजकीय वाहन वसूली की कटौती रू 400 प्रतिमाह की गयी जबकि रू 2000 की कटौती की जानी चाहिए थी रू 1600 प्रतिमाह की दर से कुल रू 22,400 की कम राजकीय वाहन वसूली की कटौती की गयी है।

जिसका विवरण निम्नलिखित हैः-

| अधिकारी का नाम/पदनाम | अवधि | | माह**x**लम्बित धनराशि | कुल धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| | कब से | कब तक | | |
| श्रीमती स्मृता परमार | 05/2017 | 06/2018 | 14*1600 | 22,400 |
| योग | | | | 22,400 |

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने जवाब दिया कि वसूली कर दी जायेगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जी.वी.आर. की कटौती पूर्व में ही की जानी चाहिए थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या | **STAN** |
|---|---|---|---|
| प्रथम लेखापरीक्षा | | | |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| प्रथम लेखापरीक्षा | | | | |

**इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य**

भाग-V

**आभार**

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **उपजिलाधिकारी, गैरसैण, चमोली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितताये:- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

| क्र.सं. | नाम | पदनाम | अवधि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कब से | कब तक |
| 1 | श्री किशन सिंह नेगी | उपजिलाधिकारी | 11.06.2012 | 12.02.2016 |
| 2 | श्री विवेक प्रकाश | उपजिलाधिकारी | 12.02.2016 | 04.07.2016 |
| 3 | श्री अनुप कुमार | उपजिलाधिकारी | 05.07.2016 | 17.07.2016 |
| 4 | श्री स्मृता परमार | उपजिलाधिकारी | 19.07.2016 | 24.07.2018 |
| 5 | श्री नेहा मीणा | उपजिलाधिकारी | 12.10.2018 | वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, **उपजिलाधिकारी, गैरसैण, चमोली** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

**उप महालेखाकार(सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" द्वितीय तल एल-218 कौलागढ़, उत्तराखण्ड़ देहरादून को प्रेषित की जाए।**

**लेखापरीक्षा अधिकारी**
**सामान्य क्षेत्र**